उत्तर प्रदेश विधान परिषद के तृतीय सत्र-2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-09 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
9. (क) क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों के अनुरक्षण हेतु समय-समय पर निरीक्षण किये जाने के निर्देश/प्राविधान हैं ?	जी हाँ। समय समय पर तथा शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित अनुरक्षण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कॉलोनियों/आवासों का निरीक्षण किया जाता है।
(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सम्पत्ति आवासीय परिसर, सेक्टर-21, इन्दिरा नगर का विगत एक वर्ष में कब-कब निरीक्षण किया गया तथा आवासों में क्या-क्या समस्यायें ज्ञात हुई हैं?	राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त कॉलोनियों में सिविल व विद्युत अनुरक्षण कार्यों हेतु अनुरक्षण खण्ड स्थापित हैं। आवासीय कॉलोनियों के अनुरक्षण खण्डों में अध्यासियों द्वारा दर्ज करायी गई शिकायत पर सम्बन्धित अनुरक्षण खण्ड द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है और सम्बन्धित अनुरक्षण खण्ड के अभियन्तागण आवश्यकता होने पर परिसर एवं आवासों का निरीक्षण करते हैं। राज्य सम्पत्ति आवासीय परिसर, सेक्टर-21, इन्दिरा नगर के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस आवासीय परिसर में बाह्य सतह सुधार, बाह्य रंगाई-पुताई छतों का जल रोधन का कार्य डाउन पाईप, सीवर, वेस्ट वॉटर पाईप, वॉटर सप्लाई की पाईप, डक्ट मरम्मत एवं नालियों के सुधार हेतु रूपये 80.54 लाख धनराशि का आगणन गठित कर शासन को प्रेषित किया गया, जो प्रक्रियाधीन है।
(ग) क्या उक्त बहुमंजिली आवासीय परिसर सीलन/गन्दे पानी के रिसाव से क्षतिग्रस्त हो रहा है तथा परिसर में जल-भराव की भी समस्या है?	उपर्युक्तानुसार।
(घ) यदि हाँ, तो उक्त आवासीय परिसर की समस्याओं के निराकरण के लिए क्या प्रयास किये गये ?	आगणन स्वीकृत की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(ड़) यदि नहीं, तो क्यों ?

उपर्युक्तानुसार ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।